

समाहरणालय सिवान  
(जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग)

पत्रांक ३४५६ / सा।सु।को०,

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,  
सिवान।

सेवा में,

सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सिवान जिला।  
कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, सिवान।

सिवान, दिनांक 24/12/2012

विषय:-

चालु वित्तीय वर्ष 2012-13 में राज्य योजना-तर्गत लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के पेंशनधारियों को माह- अक्टूबर, 2012 से दिसम्बर, 2012 तक नगद पेंशन भुगतान हेतु राशि का उपावंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक सामाजिक सुरक्षा, बिहार, पटना के पत्रांक- 69, दिनांक 08.11.2012 से प्राप्त आवंटन वित्त विभागीय स्थायी परिपत्र संख्या- 2561, दिनांक 17.04.1998 में उल्लेखित निदेशों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत विभागीय राज्यादेश संख्या- 2173, दिनांक 11.10.2012 के आलोक में पेंशनधारियों के पेंशन के नगद भुगतान हेतु संलग्न विवरणी के अनुसार उपावंटित किया जाता है।

2. आवंटित राशि मांग संख्या-51, मुख्य शीर्ष-2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उपमुख्य शीर्ष 60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, लघु शीर्ष-789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-0102-लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, विषयशीर्ष 31 06 सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा, विपत्र कोड संख्या- **P-2235607890102** स्कीम कोड- WEL-5504 से विकलनीय होगा।
3. आवंटन आदेश की कंडिका-5 के अनुसार उपर्युक्त राशि उपावंटित की जाती है। सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर निकाय कोषांग से राशि की निकासी कर शिविर के माध्यम से पेंशन का भुगतान सुनिश्चित करेंगे।
4. जिस मद में राशि उपावंटित की गई है उसे उसी मद में खर्च किया जायगा।
5. उपावंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र सीधे महालेखाकार को भेजते हुए उसकी एक प्रति सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, सिवान को निश्चित रूप से उपलब्ध करायी जाय।

उपर्युक्त निदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

**अनुलग्नक:-** सभी प्रखण्डों एवं नगर परिषद, सिवान को उपावंटित राशि की विवरणी (एक प्रति में)।

विश्वासभाजन


24/12/12  
जिला पदाधिकारी,  
सिवान।

**समाहरणालय सिवान  
(जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग)**

वित्तीय वर्ष 2012-13 में माह- अक्टूबर, 2012 से दिसम्बर, 2012 तक का लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अधीन अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना में पेंशन भुगतान हेतु सहायक अनुदान-वेतानादि के अलावा (31.06) मद में प्रखण्डवार आवंटन।

क्र०	प्रखण्ड/नगर निकाय का नाम	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान में आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि
1	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, नवतन	118300	59400	177700
2	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मैरवा नगर पंचायत सहित	238000	119400	357400
3	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गुठनी	206100	103500	309600
4	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, दरौली	334600	167900	502500
5	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जीरादेई	296800	149000	445800
6	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सिवान	365900	183700	549600
7	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हुसैनगंज	419800	210700	630500
8	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, आन्दर	348000	174700	522700
9	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रघुनाथपुर	272900	137000	409900
10	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सिसवन	448800	225300	674100
11	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हसनपुरा	253300	127100	380400
12	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पचरुखी	396700	199200	595900
13	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बड़हरिया	451100	226500	677600
14	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, महाराजगंज नगर पंचायत सहित	347000	174200	521200
15	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गोरेयाकोठी	380400	191000	571400
16	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बसंतपुर	152800	76700	229500
17	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, लकड़ी नबीगंज	409900	205800	615700
18	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, भगवानपुर हाट	243200	122100	365300
19	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, दरौंदा	273600	137500	411100
20	कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, सिवान।	17000	24300	41300
<b>कुल योग:-</b>		<b>5974200</b>	<b>3015000</b>	<b>8989200</b>

तीस लाख पन्द्रह हजार रुपये मात्र।

  
 22/12/12  
 जिला पदाधिकारी,  
 सिवान।

समाहरणालय सिवान  
(जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग)

पत्रांक ..... / सा10सु0को0,

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,  
सिवान।

सेवा में,

सभी प्रखण्ड विकांस पदाधिकारी, सिवान जिला।  
कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, सिवान।

सिवान, दिनांक .....

विषय:-

चालु वित्तीय वर्ष 2012-13 में राज्य योजना-न्तर्गत लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के पेंशनधारियों को माह- अक्टूबर, 2012 से दिसम्बर, 2012 तक नगद पेंशन भुगतान हेतु राशि का उपावटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक सामाजिक सुरक्षा, बिहार, पटना के पत्रांक- 69, दिनांक 08.11.2012 से प्राप्त आवंटन वित्त विभागीय स्थायी परिपत्र संख्या- 2561, दिनांक 17.04.1998 में उल्लेखित निदेशों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत विभागीय राज्यादेश संख्या- 2173, दिनांक 11.10.2012 के आलोक में पेंशनधारियों के पेंशन के नगद भुगतान हेतु संलग्न विवरणी के अनुसार उपावटित किया जाता है।

- आवंटित राशि मांग संख्या-51, मुख्य शीर्ष-2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उपमुख्य शीर्ष-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, लघु शीर्ष-789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-0102-लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, विषयशीर्ष 31 06 सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा, विपत्र कोड संख्या- **P-2235607890102** स्कीम कोड- WEL-5504 से विकलनीय होगा।
- आवंटन आदेश की कंडिका-5 के अनुसार उपर्युक्त राशि उपावटित की जाती है। सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर निकाय कोषागार से राशि की निकासी कर शिविर के माध्यम से पेंशन का भुगतान सुनिश्चित करेंगे।
- जिस मद में राशि उपावटित की गई है उसे उसी मद में खर्च किया जायगा।
- उपावटित राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र सीधे महालेखाकार को भेजते हुए उसकी एक प्रति सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, सिवान को निश्चित रूप से उपलब्ध करायी जाय।

उपर्युक्त निदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

अनुलग्नक:- सभी प्रखण्डों एवं नगर परिषद, सिवान को उपावटित राशि की विवरणी (एक प्रति में)।

विश्वासभाजन

30-

जिला पदाधिकारी,  
सिवान।

ज्ञापांक 38/30 / सा10सु0को0, दिनांक 24.12.2012

प्रतिलिपि:-

कोषागार पदाधिकारी, सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-

निदेशक सामाजिक सुरक्षा बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

DIC कोषागार की पर्यवेक्षण पर प्रमाण हेतु।

22/12/12

जिला पदाधिकारी,  
सिवान।